

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 217/2017/225 आर टी ए

शौभादेवी पत्नि प्रभुराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—अपीलांत

**बनाम**

1. लिछमादेवी पत्नि जयनारायण जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व संगरिया जिला हनुमानगढ़।

— रेस्पोंडेंटस

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 23.06.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी संगरिया प्र०सं० 142/2016 बअनवानी लिछमादेवी बनाम शोभादेवी आदि

उपस्थित :-

श्री नवीन कुमार मोदी अधिवक्ता अपीलांत

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पोंडेंट सं. 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेंट सं. 2

निर्णय

दिनांक:-05.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए पेश कर अपनी खातेदारी भूमि के लिए रास्ता का अन्य कोई विकल्प न होना प्रकट कर चक 2 डीएलपी के प.न. 163/186 मु. न. 1 के कि.न. 25 में उत्तर दिशा में पत्थरलाईन से चिपते हुये पूर्व पश्चिम डीएलपी माईनर तक एक बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर रास्ता स्वीकृत कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांत ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांत ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत डीएलपी माईनर से रास्ता मंजूर किया है जो मंजूरशुदा कटानी रास्ता नहीं है। इन तमाम तथ्यों को अनदेखा कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना निर्णय दिया गया है जो कायम रखे जाने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी की रिपोर्ट को अनदेखा करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को कृषि भूमि बदले कृषि भूमि अथवा कृषि भूमि की कीमत दिये जाने के संबंध में कोई विकल्प नहीं दिया है तथा इस तथ्य को पूर्णरूप से नजरअंदाज करके अपना निर्णय दिया है। अपीलांत द्वारा तहसीलदार द्वारा दी गयी रिपोर्ट से किसी प्रकार की सहमति जाहिर नहीं की गयी एवं अधीनस्थ न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलांत की ओर से किये गये एतराज अस्वीकार करने का

कारण स्पष्ट न करते हुये अपना निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मुआवजा स्वरूप जमीन के बदले जमीन न देकर डीएलसी दर के आधार पर मुआवजा तय कर भी अनुचित आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किया जाकर अपीलांत की कृषि भूमि के साथ चिपती हुई रेस्पो० सं. 1 की कृषि भूमि में से अपीलांत के नाम दर्ज करने के आदेश पारित करते हुए चक 2 डीएलपी के प.न. 163/186 मु.न. 1 के कि.न. 25 में उत्तर दिशा में पत्थरलाईन से चिपते हुये पूर्व पश्चिम डीएलपी माईनर तक एक बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश पारित किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो० ने अपनी बहस में अपील में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा रास्ता स्वीकृत करते हुए रास्ते के ऐवज में डीएलसी दर से दुगुनी राशि अपीलांत को अदा करने के आदेश दिये गये थे। जिसमें रेस्पो० द्वारा डीएलसी दर से दुगुनी राशि जमा करवाई जाकर रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया गया है। अपीलांत द्वारा अपील में किये गये कथन के अनुसार अपीलांत की कृषि भूमि के साथ चिपती हुई रेस्पो० सं. 1 की कृषि भूमि में से अपीलांत के नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर चक 2 डीएलपी के प.न. 163/186 मु.न. 1 के कि.न. 25 में उत्तर दिशा में पत्थरलाईन से चिपते हुये पूर्व पश्चिम डीएलपी माईनर तक एक बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जावे। रेस्पो० रास्ता भूमि की ऐवज में अपीलांत के साथ चिपती हुई भूमि दिये जाने में सहमत है। ऐसी स्थिति में अपीलांत द्वारा रास्ता भूमि के ऐवज में जमा करवाई गई डीएलसी दर की दुगुनी राशि वापिस दिये जाने के आदेश पारित किये जाकर अपील अपीलांत स्वीकार की जावे।
5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो० सं. 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि कि प्रकरण में विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण फरमावे।
6. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अपीलांत ने रेस्पोडेंट को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिए चक 2 डीएलपी के प.न. 163/186 मु.न. 1 के कि.न. 25 में उत्तर दिशा में पत्थरलाईन से चिपते हुये पूर्व पश्चिम डीएलपी माईनर तक एक बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत करने में सहमति दी है परन्तु उक्त रास्ता भूमि के ऐवज में डीएलसी से दो गुणा राशि के स्थान पर अपीलांत के साथ चिपती हुई भूमि रेस्पो० सं. 1 द्वारा दिये जाने का कथन भी गया है। जिस पर रेस्पो० द्वारा अपीलांत को अपनी खातेदारी भूमि जो अपीलांत के कि.न. 25 के चिपती हुई 21 में 0.006 बिस्वा में दिये जाने में सहमति दी गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन

निर्णय तो सही है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपने आदेश में रास्ता भूमि के ऐवज में भूमि दिये जाने या डीएलसी दर की दुगुनी राशि अदा करने का अंकन है परन्तु रेस्पोंडेंट द्वारा स्वीकृत रास्ते में प्रयुक्त भूमि की ऐवज में डीएलसी दर की दुगुनी राशि जमा करवा कर रास्ता का अंकन करवाया गया है।

7. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के प्रावधानों के अनुसार काश्तकारों के मध्य आपसी सहमति नहीं होने की स्थिति में रास्ते में प्रयुक्त भूमि की ऐवज में मुआवजे के रूप में राशि अथवा भूमि दिया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्त रास्ता दिये जाने में सहमत है परन्तु अपीलान्त द्वारा रास्ते भूमि की ऐवज में अपीलान्त चिपती हुई भूमि दिये जाने का कथन किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ के न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2017 में वर्णित रास्ता यथावत रहेगा, परन्तु अपीलाधीन दिनांक 23.06.2017 आदेश को संशोधित करते हुए रास्ता के रूप में प्रयुक्त अपीलान्त की भूमि की ऐवज में रेस्पोंडेंट अपनी भूमि में से अपीलान्त की भूमि से चिपती हुई भूमि दिये जाने के आदेश किये जाने न्यायसंगत है।
8. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ के न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2017 में वर्णित रास्ता यथावत रहेगा, परन्तु अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2017 के अनुसार रास्ते में प्रयुक्त भूमि के मुआवजे के रूप में डीएलसी दर से दो गुणा राशि जमा कराने के आदेश दिये गये थे। अपीलान्त एवं रेस्पोंडेंट की सहमति के आधार पर अपीलाधीन आदेश को संशोधित करते हुए रास्ते में प्रयुक्त भूमि की क्षतिपूर्ति/मुआवजे के रूप में डीएलसी की दो गुणा राशि के स्थान पर रेस्पोंडेंट सं. 1 द्वारा अपीलान्त के कि.न. 25 के चिपती हुई चक 4 एमजेडी के प.न. 164/186 मु.न. 33 के कि.न. 21 में दक्षिणी दिशा में पश्चिम दिशा में 0.006 है० भूमि (कि.न. 25 में स्वीकृत रास्ते के सामने भूमि छोड़ते हुए) दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अगर रेस्पोंडेंट द्वारा मुआवजे के रूप में राशि जमा करवाई गई है, तो जमा करवाई गई राशि रेस्पोंडेंट सं. 1 को वापिस लौटाने हेतु तहसीलदार राजस्व संग्रहिया को आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की पालना हेतु प्रति तहसीलदार राजस्व संग्रहिया को प्रेषित की जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस  
राजस्व अपील अधिकारी

हनुमानगढ